शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 10/1731/26-2-2014-100(1)/2013टी0सी0

प्रेषक,

के0 राम मोहन राव,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 18 जुलाई, 2014

विषयः- **समाजवादी पेंशन योजना के संचालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1582/26-2-2014-100(1)/2013, दिनांक 21 जून, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के संचालन हेतु संशोधित समय सारिणी निर्गत की गयी है। उक्त संशोधित समय सारिणी में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2014 बीत चुकी है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/स्थलीय सत्यापन निर्धारित समयान्तर्गत 15 अगस्त, 2014 तक पूर्ण करा ली जाय।

2- उल्लेखनीय है कि समाजवादी पेंशन योजना शासन की एक महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकतापरक योजना है। इस योजना का जनपद स्तर पर पर्याप्त प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय। जिलाधिकारी जनपद स्तर पर इस योजना के सफल एवं समयबद्ध संचालन हेतु स्वंय उत्तरदायी होंगे। जिलाधिकारी द्वारा योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्राथमिकता पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ताकि लाभार्थियों के चयन हेतु समस्त प्रक्रिया दिनांक 10 नवंबर, 2014 तक पूर्ण करा ली जाये।

3- यह सुनिश्चत किया जाय कि समाजवादी पेंशन योजना के समयबद्ध एवं त्वरित क्रियान्वयन हेतु उक्त संशोधित समय-सारिणी के अनुसार समस्त कार्यवाही संपादित की जाय।

भवदीय,

के0 राम मोहन राव
सचिव।

पृ0संख्या-1731(1)/26-2-2014-100(1)/2013टी0सी0 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त समाज कल्याण, उ0प्र0।
2- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी (नोडल अधिकारी, समाजवादी पेंशन योजना) उ0प्र0।
7- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
9- विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

राज कुमार त्रिवेदी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in